



Neutral Citation No.- 2026:AHC:124668

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 19018 वर्ष 2026**

महेशलाल सरोज

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य (गृह मंत्रालय)

.....विपक्षी

|                 |   |                                                |
|-----------------|---|------------------------------------------------|
| आवेदक के वकील   | : | कर्मा सिंह यादव, कुलदीप सिंह यादव, पीयूष कुमार |
| विपक्षी के वकील | : | शासकीय अधिवक्ता                                |

**न्यायालय संख्या - 5**

**माननीय न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा**

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री कर्मा सिंह यादव, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री मनोज गौतम को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।
2. यह वर्तमान जमानत आवेदन केस अपराध संख्या 38 वर्ष 2026, बीएनएस की धारा 64(1), 352, 351(2), 115(2), पुलिस स्टेशन पवारा, जिला जौनपुर के तहत विचारण के दौरान आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक पीड़िता का छोटा देवर है और यह आरोप लगाया गया है कि उसने उसे वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार किया, जिसे उसने तब बनाया था जब वह नहा रही थी। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि जांच के दौरान ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है। यह भी प्रस्तुत किया गया कि एफआईआर आठ दिनों की काफी देरी के बाद दर्ज की गई है और अंतिम घटना 05.03.2026 को हुई थी जबकि एफआईआर 12.03.2026 को दर्ज की गई। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11.04.2026 से जेल में बंद है। यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की शर्तों का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि आवेदक ने पीड़िता का वीडियो बनाया और उसे वायरल करने की धमकी देकर कई बार बलात्कार किया। हालाँकि, उन्होंने इस तथ्य का खंडन नहीं किया कि जांच के दौरान ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला है, जबकि पीड़िता ने कहा है कि आवेदक द्वारा वीडियो बनाया गया था।

5. एफआईआर काफी देरी से दर्ज की गई और जांच के दौरान कथित रूप से कोई वीडियो नहीं मिला। एफआईआर के अनुसार, आवेदक पर प्रथम मुखबिर को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर बलात्कार करने का आरोप है।

6. मामले के संपूर्ण तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार करते हुए और अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, आरोपी की संलिप्तता को ध्यान में रखते हुए तथा जेलों में अत्यधिक भीड़ और विचारण न्यायालयों के समक्ष लंबित आपराधिक मामलों के भारी बोझ को ध्यान में रखते हुए, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अधिदेश को देखते हुए, जो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 में रिपोर्ट किया गया है, और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** मामले में इस न्यायालय के दिशानिर्देश को देखते हुए, जो 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765 में रिपोर्ट किया गया है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मानना है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने का हकदार है।

7. तदनुसार, वर्तमान आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।

8. आवेदक-महेशलाल सरोज, जो उपरोक्त अपराध में शामिल है, को निम्नलिखित शर्तों के साथ, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक सीधे या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोकने के लिए या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए ईमानदारी से विचारण/जांच में सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध करने में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक उसके द्वारा निष्पादित बंधपत्र की शर्तों के अनुसार उपस्थित रहेगा।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाए। आवेदक के साथ-साथ जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह आगे निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजे।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह **31.01.2023 को दिए गए (2024) 10 एससीसी 685 में रिपोर्ट किए गए जमानत देने के लिए नीति रणनीति, इन री: सुओ मोटो रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4 वर्ष 2021** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 24 घंटे के भीतर **संबंधित जेल अधीक्षक** के माध्यम से ई-मेल या ई-प्रिजन पोर्टल द्वारा आवेदक को इस आदेश की एक प्रति भेजे।

(जितेंद्र कुमार सिन्हा, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2 जून, 2026

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।